

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का  
प्रतिवेदन

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास  
एवं सुधार कार्यक्रम

संघ सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
2016 की प्रतिवेदन संख्या 30  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

# विषय सूची

| अध्याय/शीर्षक                  |  | पृष्ठ सं. |
|--------------------------------|--|-----------|
| प्राक्कथन                      |  | iii       |
| कार्यकारी सार                  |  | v से x    |
| अध्याय 1—परिचय                 |  |           |
| 1.1                            | पृष्ठ भूमि   | 1         |
| 1.2                            | आर—ए पी डी आर पी की प्रमुख विशेषताएँ   | 3         |
| 1.3                            | आर—ए पी डी आर पी का निधिकरण  | 6         |
| 1.4                            | एकीकृत विद्युत विकास योजना   | 6         |
| अध्याय 2—लेखापरीक्षा पद्धति    |  |           |
| 2.1                            | लेखापरीक्षा के उद्देश्य  | 7         |
| 2.2                            | लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व नमूना   | 7         |
| 2.3                            | लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत  | 8         |
| 2.4                            | लेखापरीक्षा पद्धति   | 8         |
| अध्याय 3—वित्तीय प्रबंधन       |  |           |
| 3.1                            | निधियों का निर्गमन एवं उपयोग   | 9         |
| 3.2                            | योजना के भाग सी के अंतर्गत उपगत व्यय   | 10        |
| 3.3                            | राज्यों में निधियों के निर्गमन एवं उपयोग में चूक                                       | 11        |
| 3.4                            | प्रायोगिकी द्वारा कार्यों का हस्तांतरण/परित्याग  | 16        |
| 3.5                            | निधियों का विपथन   | 16        |
| 3.6                            | परियोजनाओं का परस्पर व्यापन  | 17        |
| 3.7                            | निर्गत की गई निधियों का अनुबंध की शर्तों के साथ सामंजस्य न होना                        | 18        |
| 3.8                            | उपयोगिता प्रमाणपत्र  | 19        |
| 3.9                            | राज्य प्रायोगिकियों के बही खातों का निरीक्षण नहीं किया जाना                            | 21        |
| 3.10                           | ऋण का अनुदान में रूपान्तरण   | 21        |
| अध्याय 4—कार्यक्रम कार्यान्वयन |  |           |
| 4.1                            | प्रारम्भिक गतिविधियाँ  | 23        |
| 4.2                            | डी.पी.आर. का मूल्यांकन   | 25        |
| 4.3                            | निविदा आमंत्रित करने और कार्य प्रदान करने में देरी                                     | 27        |
| 4.4                            | परियोजनाओं को वरीयता न दिया जाना   | 28        |
| 4.5                            | अनुमोदित डी.पी.आर. का अनुपालन न होना (परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन)                   | 29        |
| 4.6                            | ठेकेदारों को आधारभूत ढाँचा उपलब्ध न कराने के कारण परियोजनाओं के प्रारम्भ होने में देरी | 29        |
| 4.7                            | संचालन समिति के अनुमोदन के बिना लागत में संशोधन  | 29        |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 4.8  | डाटा केन्द्र तथा आपदा प्रतिलाभ केन्द्र   | 30 |
| 4.9  | टर्नकी करारों का अपनाया न जाना   | 31 |
| 4.10 | पुनर्निविदा के कारण अतिरिक्त खर्च  | 32 |
| 4.11 | समरूप मदों के लिये भिन्न दरें  | 32 |
| 4.12 | प्रायोगिकियों द्वारा किये गए अनुबंधों में कमियाँ                                       | 33 |
| 4.13 | गुणवत्ता नियंत्रण  | 35 |
| 4.14 | उपयुक्त प्रत्याभूति की प्राप्ति न होना   | 36 |
| 4.15 | क्षमता निर्माण उपायों के लिए राज्य प्रायोगिकियों के कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण | 39 |
| 4.16 | 'गो-लाईव' परियोजनाएं   | 40 |

| अध्याय 5—कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ |  |    |
|---|--|----|
| 5.1                                       | ए टी एण्ड सी हानियाँ                           | 43 |
| 5.2                                       | टी पी आई ई ए द्वारा बेसलाइन आँकड़ों का सत्यापन | 45 |
| 5.3                                       | ए टी एण्ड सी हानियों के अविश्वसनीय आँकड़े      | 45 |
| 5.4                                       | ए टी एण्ड सी हानियों के परिकलन में विसंगतियाँ  | 47 |
| 5.5                                       | ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा                      | 49 |
| 5.6                                       | विद्युत क्षेत्र में सुधार                      | 52 |

| अध्याय 6—उपभोक्ता संतुष्टि |  |    |
|----------------------------|--|----|
| 6.1                        | व्यावसायिक गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (बिलिंग, संग्रहण आदि)                                   | 55 |
| 6.2                        | ग्राहक सेवा प्रणाली की स्थापना   | 55 |
| 6.3                        | सेवा कनेक्शनों का निर्धारण/उच्च परिशुद्धता/हस्तक्षेपरहित मीटरों के साथ प्रतिस्थापन न किया जाना | 56 |
| 6.4                        | उचित टेल एंड वोल्टेज की आपूर्ति न किया जाना  | 56 |

| अध्याय 7—निगरानी और मूल्यांकन |  |    |
|-------------------------------|--|----|
| 7.1                           | निगरानी का विहंगावलोकन                                     | 59 |
| 7.2                           | डी.आर.सी. द्वारा माईलस्टोनों और लक्ष्यों की निगरानी न करना | 60 |
| 7.3                           | राज्य स्तर पर पाए गए अन्य मामले                            | 60 |

| अध्याय 8—निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं |           |    |
|---------------------------------|-----------|----|
| 8.1                             | निष्कर्ष  | 63 |
| 8.2                             | अनुशंसाएं | 64 |

| अनुलग्नक |                          |                |
|----------|--------------------------|----------------|
|          | अनुलग्नक –I से XVII      | ए-1 से ए-43    |
|          | संक्षिप्ताक्षरों की सूची | एबी-1 से एबी-5 |